17 April
PG-II Sem

अध्याय – 3

(B) (Society)
समाज

आदिवासी समाज की अपनी एक विशिष्ट भाषा संस्कृति सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था होती है इनकी एक प्रजाति होती है जनजातियों ने अब धीरे-धीरे सभ्य समाजों से दुरियां हटानें शुरू कर दी, और इनमें समाहित होने लगी है। अतः जनजातियों के लक्षण को लेकर भारतीय विचारकों में मतभेद है। प्रो० ए० आर० देसाई ने जनजातियो के सामान्य लक्षणों पर प्रकाश डाला है जो निम्नलिखित है :-

i. ये सभ्य समाज से दूर जंगल या पर्वत पर निवास करते है।
ii. ये मोंग मंगोलाइड प्रजाति से सम्बन्धित होते है।
iii. ये आदिम धर्म को मानते है जिसमे भूत-प्रेत अथवा आत्माओं के पूजन का विशेष महत्व होता है।
iv. ये एक तरह की बोली बोलते है।
v. इनका आर्थिक क्रियाकलाप प्रकृति पर आधारित होता है तथा शिकार करना वन में उत्पन्न वस्तुओ का संग्रह करना होता है।
vi. ये प्रायः मांसाहारी होते है।
vii. ये अर्द्ध नग्न अवस्था में रहते है तथा कपड़ों के स्थान पर पेड़ों के छाल या पत्तो का उपयोग करते है।
viii. आदत से ये मद्यपान करते है और नृत्य में विशेष रुचि रखते है।

जनजातिय जैसे-जैसे सभ्य समाज के समीप आते जा रहे है अब उन्हे कृषक वर्ग से विभेद करने में कठिनाई होने लगी है जनजातिय समाज के निष्कर्षात्मक लक्षण देना सहज नहीं है।

टी० बी० नायक ने इस विषय पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। जनजातिय जीवन की क्या कसौटियां या पहचान होनी चाहिए। इनके लिए वनों में रहना कहा जाता है लेकिन ये जनजातियाँ लोग वन में न रहकर

उर्वरक मैदानों में रहते है। धर्म में भी आदिम धर्म क्या है वे नहीं जानते है टी० बी० नायक अपनी ओर से जनजातियलक्षण को निम्नलिखित रूप में बताया है:-

i. समुदाय में न्यूनतम प्रकार्यात्मक पारस्परिक निर्भरता होनी चाहिए।
ii. उसे आर्थिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए अर्थात :-
    a. मुद्रा और सिक्का के अर्थशास्त्र का अल्पज्ञान
    b. प्रकृतिक साधनों के उपयोग के लिए आदिम साधनो का उपयोग।
    c. अर्थशास्त्र अवस्था अल्पविकसित चरण है।
    d. अनेक आर्थिक क्रियाओं का अनुसरण।
iii. अन्य लोगो से तुलनात्मक रूप से भौगोलिक पृथकता
iv. एक प्रकार की बोली जिसमें क्षेत्रीय भिन्नता कीसंभावना
v. राजनीतिक दृष्टि से संगठित
vi. अपनी प्राचीन प्रथाओं से चिपके रहनें की प्रवृत्ति।
vii. उनका अपना परंपरागत नियम जिसके कारण अभी न्यायालय में हानि उठाने की भी संभावना रहती है।

संविधान ने भी जनजातियो की एक सूची बना दी है और अब ये अनुसूचित जनजातियां कहलाती है। संविधान की धारा (३४२) के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह सार्वजनिक सूचना द्वारा उन जनजातियों, जनजातिय समूहों के हिस्सों को इस संविधान के अर्थ में अनुसूचितजनजातियों के नाम से घोषित करेगा। इस अनुसूची में सम्मिलित समूह को अनेक तरह की सुविधाएँ मिलती है।

Stop

Scanned with CamScanner